यायालय तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी

भागीरथराम (आरटीएस)

मि.न.132 / 17

दिनांक 7.9.17

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायल उपस्थित ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का जयसिहंपुरा ने एक रिर्पोट इस आशय कि पेश कि है कि सम्वत 2074 में वाके ग्राम करवास तहसील कोटपूतली के ख0 न0 583 रकबा 49.49 है0 किस्म जमीन गै0 मु0 नदी मेंसे 0.002है0 पर राजा राम पुत्र लल्लूराम जाति जाट निवासी करवास तहसील कोटपूतली जिला जयपुर ने मकान व टीन सेड बनाकर नाजायज रूप से अतिक्मण कर लिया है ।

रिर्पोट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर । गैर सायलान को विधिवत LR\ACT 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गये । बाद तामिल नोटिस संलग्न किये गये । सुचनाप्रान्त गैर सायल उपस्थित आये । जबाब पेश नहीं किया और ना ही कोई साक्ष्य , सबूत पेश नहीं किये । पत्रावली में संलग्न दस्तावेज एवं पटवारी हल्का रिपोर्ट पर गौर किया तो विवेचन में पाया कि गैरसायल राजा राम पुत्र लल्लूराम जाति जाट निवासी करवास द्वारा वाके ग्राम करवास तहसील कोटपूतली के ख0 न0 583 / 49.49किस्म जमीन गै0 मु0 नदी मेंसे 0.002है0 पर मकान व टीन सेड बना कर अतिक्मण अवैध अतिक्मण स्वतः ही सिद्व होता है अतः अतिक्मि के विरूद्व कार्यवाही किया जाना उचित प्रतित होता है । अगर अतिक्मि के विरूद्व कार्यवाही नहीं की गई तो अतिक्मण को बढावा मिलेगा व क्षेत्र असंतोष की स्थिति उत्तन्न होगी ।

अतः राजा राम पुत्र लल्लूराम जाति जाट निवासी करवास तहसील कोटपूतली को वाके ग्राम करवास तहसील कोटपूतली के ख0 न0 583 / 49.49 है0,किस्म जमीन गै0 मु0 नदी मेंसे 0.002है0 पर अतिक्मी धोषित करते हुये उक्त आराजियात पर बनाये गये मकान व टीन सेड को ध्वस्त करवाया जाकर कर भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तथा नाजायज रूप से अतिक्मण करने के आरोप में लगान राशी 0.004 का पचास गुणा 2रू अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है।

निर्णयानुसार बेदखली,पैनल्टी वसुली हेतु भू0 अ0 नि0 व पंटवारी हल्का को तहरीर जारी हो व माग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखा कार को लिखा जावे । निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दखील दफतर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनाक 7.9.17 को सरे इजलास सुनाया गया ।

तहसीलदार
कोटपूतली (जयपुर)

200 17 6 18 ... क रा० ब०
संख्या 163 पर 2 ६०
कायम किये गये ।

राजस्व लेखाकार
कोटपूतली